रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2013/पौष 14, 1934

No. 10] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2013/PAUSA 14, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 11(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1963 को जहां तक उसका संबंध अवर श्रेणी लिपिक पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, अवर श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	वेतन ब्रैड और ग्रेड वेतन/चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षित अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अवर श्रेणी लिपिक	* 60 (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैड– (1) 5200–20,200रू + ग्रेडवेतन 1900रू	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक अनुसूचित अनुसूचित जातियों या जनजतियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधरित करने के लिए निर्णयक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।	1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 12 उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता 2.कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (अनुज्ञात समय : 10 मिनट) (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत पर 10500 प्रतिघंटा/9000 की डिप्रैशन प्रतिघंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रतिमिनट और 30 शब्द प्रतिमिनट)	हॉ, स्तभ 10 में उपदर्शित सीमा तक। ”	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/आमेलन किया जाएगा।
10	11
(i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियों को ग्रेड वेतन 1800 रु के ऐसे समूह "ग" कर्मचारियो की विभागीय अर्हकारी परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 12 उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता रखते है और श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते है।	जिस प्रकार से स्तंभ 10 में उल्लिखित है। टिप्पण–1 : आयु सीमा के उक्त अवधारणा करने में पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजतियों के लिए 50 वर्ष) यदि उपरोक्त खंड (ii) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में सफल कर्मचारियों को पश्चातवर्ती वर्षो में उद्भूत होनी वाली रिक्तियों को भरे जाने के लिए इस प्रकार से विचार किया जाऐगा कि पहले वर्ष की परीक्षा में अर्हित कर्मचारियों पर बाद के वर्षो में परीक्षा अर्हित करने वाले कर्मचारियों पर पहले विचार कर लिए जाय। टिप्पण–2 : पॉच प्रतिशत रिक्तियों का ऐसे समूह "ग" कर्मचारियों से ज्येष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएगी जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मेट्रीकुलेशन है और ग्रेड वेतन 1800 रु में पद पर तीन वर्ष की नियमिम सेवा रखते है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति –समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:– (i) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – अध्यक्ष (ii) कार्यालय प्रधान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – सदस्य (iii) कार्यालय प्रधान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण – सदस्य	लागू नहीं होता
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति –समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:– (i) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – अध्यक्ष (ii) कार्यालय प्रधान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – सदस्य (iii) कार्यालय प्रधान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण – सदस्य	

[फा. सं. 02/10/2012-सीएसजेड]

बी. एम. एस. राठौर, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2013

G.S.R. 11(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1963, in so far as they relate to the post of Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Lower Division Clerk, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.– The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

   OR

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

58 GI/13-2

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
Lower Division Clerk.	60* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non–Gazetted, Ministerial.	Pay band-1: Rs. 5200-20200 plus grade pay - Rs.1900.	Non-selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for	1. 12^{th} class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University. 2. A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (Time allowed – 10 minutes). (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an	Yes, to the extent indicated in column 10.	Two years.	(i) Eighty-five per cent. by direct recruitment. (ii) Ten per cent. of vacancies shall be filled on the basis of Departmental Qualifying Examination from amongst the Group 'C' employees in the grade pay of Rs.1800 who possess 12th class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University and have rendered three years regular service in the grade. [The maximum age limit for eligibility for the said

determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	average of 5 key depressions for each word).			Examination shall be 45 years (50 years of age for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes)]. **Note.** If more of such employees than the number of vacancies are available under clause (ii) above qualified at the aforesaid Examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier Examination are considered before those who qualify at a later Examination. (iii) Five per cent. of the vacancies shall be filled on the basis of seniority-cum-fitness from Group 'C' employees who possess Matriculation from a recognised Board or equivalent qualifications and have rendered three years regular service in posts with the grade pay of Rs. 1800.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
As stated in column 10.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director, Botanical Survey of India – Chairman; 2. Head of Office, Botanical Survey of India – Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India -Member. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Botanical Survey of India – Chairman; 2. Head of Office, Botanical Survey of India – Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India –Member.	Not applicable.

[F. No. 02/10/2012-CSZ]

B.M.S. RATHORE, Jt. Secy. (Conservation and Survey)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.